राजस्व अपील संख्या : 69/2023
उनवान : हंजा व अन्य बनाम अजीतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 69/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/6

अपीलाण्ट :–

1. हंजा पुत्री जोता, जाति घांची निवासी ग्राम चांदराई तहसील आहोर, जिला जालोर राजस्थान
2. देवी पुत्री जोता, जाति घांची निवासी सांगागली तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. अजीतराम पुत्र जोता, जाति घांची, निवासी हनुमान गली, तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. वगतु पुत्री जोता, जाति घांची निवासी तखतगढ़ हाल बस स्टेण्ड के पास हरजी, तहसील आहोर जिला जालोर
3. पुरी पुत्री जोता, जाति घांची निवासी शांन्ति नगर हनुमान मंदिर के पास, सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.
4. मनीष कुमार पुत्र फुलाराम पुत्र जोता जाति घांची निवासी हनुमान गली तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली राज.।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरुद्ध मौजा तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 13.11.1990 जो अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

–:निर्णय:–

दिनांक: 28.07.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर मौजा तखतगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 13.11.1990 जिसे अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे अपास्त करवाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा तखतगढ़ पटवार हल्का तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर में खसरा संख्या 173, 172 रकबा व किस्म क्रमशः 5.43 हैक्टेयर, 0.08 हैक्टेयर किस्म जवाई न.दो., गै.मु. कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.54 हैक्टेयर की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2044 से 2047 के अनुसार अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 के स्वर्गीय पिता तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 04 के दादा स्वर्गीय जोता पुत्र गमना, कौम घांची, की आई हुई स्थित है।

उपरोक्त सम्पूर्ण खातेदारी कृषि भूमि स्वर्गीय जोता पुत्र गुमना, कौम घांची की कब्जा काश्तसुदा रही है। स्वर्गीय जोता हिन्दु थे जो हिन्दु विधि से गवर्न होते है। जिनके निर्वसीयत मृत्यू होने से उपरोक्त सम्पति में अप्रार्थीगण की पुश्तेनी होने से एवं अपीलार्थीगण उनकी जायन्दा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 69/2023
उनवान : इंजा व अन्य बनाम अजीतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

पुत्री होने से उनके पुत्रों व पत्नि के साथ हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान/उत्तराधिकारी होने से बहैसियत अपना कानूनन हक-अधिकार रखती है। परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 04 के पिता फूला ने पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं अतिरिक्त तहसीलदार महोदय सुमेरपुर से मिलावट कर अपीलार्थीगण को उपरोक्त भूमि में निहित अपने विधिक हक-हकूक हिस्से एवं अधिकारों से वंचित रखने के लिये स्वर्गीय जोता के वारिसान/उत्तराधिकारी अपने सहित अपनी माता पानी को बताते हुए जेर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवा दिया। उपरोक्त जेर अपील नामान्तरकरण और उसमें वर्णित इन्द्राज अवैध एवं शून्यकृत है क्योंकि तत्समय रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उसके भाई फूलाराम व माता पानी के अलावा जोता के प्रथम श्रेणी की वारिसान अपीलार्थीगण भी जीवित थी एवं आज भी जीवित है। जिनके नाम फोतदगी नामान्तरकरण दर्ज करते हुए जेर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना आज्ञापक था, जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से भारी भूल की है। इसलिए जेर अपीलाधीन नामान्तरकरण ab Initio void होने से अविधिपूर्ण एवं शून्यकृत होने से काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि स्व. जोता पुत्र गुमना के विधिक वारिसान के रूप में पुत्र अजीतराम रेस्पोडेण्ट संख्या 01 एवं पुत्र स्व. फुलाराम व पत्नी स्व. पानी के साथ साथ पुत्रियां इंजा, देवी, वगतु, व पुरी तमाम ही थे। इस प्रकार उक्त समस्त वारिसान का स्वर्गीय जोता की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर-बराबर का बनता है जिसके रहते जेर अपील नामान्तरकरण के जरिये सम्पूर्ण भूमि में 1/7 -1/7 का हक-हिस्सा अपीलार्थीगण सहित सभी वारिसान के कानूनन दर्ज किया जाना था, जो नहीं किया गया जिस हक हिस्से बाबत यह अपील अपीलार्थीगण की ओर से पेश है।

यह है कि, खातेदार स्व. जोता पुत्र गुमना की मृत्यु के बाद जेर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 96 विरावात का तत्कालीन पटवारी हल्का ने स्वर्गीय जोता के तमाम विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व उसके भाई स्वर्गीय फुलाराम के बताये अनुसार ही वारिसानों के नाम इन्द्राज किये जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच में सही मानते हुए अपनी टिप्पणी कर इतिश्री की गई और उक्त इन्द्राज व टिप्पणी पर अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा भी स्वर्गीय जोता पुत्र गुमना के तमाम विधिक वारिसानों की समुचित एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार जांच किये बिना तथा उसकी सुनवाई किये बिना और बिना विधिक वारिसानों के तस्दीकशुदा दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही जेर अपील नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 13.11.1999 को स्वीकृत करते हुए आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलार्थीगण स्वर्गीय जोता की मृत्यू के समय जीवित जायदा विधिक पुत्रियां होने से उनकी उपरोक्त वर्णित सम्पति में बहैसियत विधिक उत्तराधिकारी/वारिसान के हक प्राप्त करने की अधिकारी थी। ऐसी स्थिति में विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना एवं स्वर्गीय जोता के तमाम विधिक वारिसानों की सही एवं पूर्ण जांच किये बिना ही जेर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरुद्ध स्वीकृत किया गया है जो प्रारम्भिक रुप से शुन्यवृत होने से काबिल खारिज योग्य है।

यह है कि सामान्य अनुक्रम में यह माना जाता है कि एक पुरुष की निर्वसीयती मृत्यू होने पर धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसकी सम्पति के अधिकार की प्रथम सूची में वर्णित तमाम वारिसान में स्वतः ही निहित हो जाते है जिस अनुसार अपीलार्थीगण के रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व भाई फुलाराम व माता पानी के साथ साथ जेर अपील नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार कानूनन निहित हो गये थे और यही अवधारणा की जाती है। अपीलार्थीगण भी इसी विश्वास में रही कि अपने पिता की मृत्यू के बाद उनकी सम्पति में बतौर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 69/2023
उनवान : हंजा व अन्य बनाम अजीतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

विधिक वारिसान के उनका नाम दर्ज हो चुका होगा, लेकिन हाल ही में रेस्पोडेण्ट संख्या 04 जो अपीलार्थीगण के स्वर्गीय भाई फुलाराम का पुत्र है ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सुमेरपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करते हुए अपीलार्थीगण को बतौर प्रतिवादी संख्या 04 व 05 पक्षकार बनाकर सम्मन मय वाद की प्रति दिनांक 10.08.2023 को जारी कर भिजवाये गये ।तब उपरोक्त कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा 1/18, 1/18 वर्णित किया गया जिस जानकारी के बाद अपीलार्थीगण ने सुमेरपुर तहसील जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर राजस्व रिकॉर्ड की ऑनलाईन जानकारी प्राप्त की जिससे यह जानकारी हुई कि अपीलार्थीगण के पिता जोता की मृत्यू के समय उनका नाम जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये इन्द्राज नहीं किये गये थे जो इन्द्राज चले आ रहे थे वो माता पानी की मृत्यू होने पर उनके 1/3 हिस्से में ही अपीलार्थीगण के विधिक हक अनुसार ही इन्द्राज किये गये है। उक्त जानकारी के बाद अपीलार्थीगण द्वारा उप तहसील तखतगढ़ में अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन संख्या 73 दिनांक 29.03.2023 को पेश किया जिस आधार पर नकले तैयार होकर अपीलार्थी संख्या 02 को दिनांक 04.10.2023 को प्राप्त होने पर उसके अवलोकन से अपीलार्थीगण को प्रथम बार यह जानकारी में आया कि अपीलार्थीगण व उनकी अन्य बहनों को उसके पिता की उपरोक्त सम्पति से प्राप्त होने वाले विधिक हक अधिकार से वंचित रखा गया है। इस तरह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सवत् 2074 से 2077 के अनुसार अपीलार्थीगण संख्या 01 व 02 का उपरोक्त कृषि भूमि में 1/18, 1/18 हक हिस्सा इन्द्राज दर्ज है। जबकि सही एवं वास्तविक एवं विधिक रुप से 1/6, 1/6 हक हिस्सा बनता है। इस तरह जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी बिना किसी देरी के उक्त अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है।

यह है कि विधिक रुप से जैर अपील नामान्तरकरण मय आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित अवैध एवं शुन्यवृत होने से म्याद अधिनियम के प्रावधान लागु नही होते है साथ ही अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीया के जीवित होने के तथ्य छुपाते हुए एकतरफा कार्यवाही कर केवल पुत्रगण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व भाई फुलाराम एवं माता पानी के नाम से अपील नामान्तरकरण में दर्ज किये गये है। इस कारण भी सर्वप्रथम जानकारी से अपील अन्तर्गत म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमावे तथा जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 13.11.1989 को खारिज फरमावे तथा उपरोक्त नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि में अपीलार्थीगण का विधिक हक–हिस्सा निहित होने से खातेदारी अधिकार अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेण्ट्स को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या एक एवं चार ने ज़रिए अधिवक्ता उपस्थिति दी। रेस्पोडेण्ट संख्या दो, तीन एवं पांच बावजूद सूचना के एवं पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नहीं आए, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 04 ने अपीम मीमों का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. कस्बा तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 173 क्षेत्रफल 5.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.08 हैक्टर कुल रकबा 5.54 हैक्टेयर की कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 04 के दादा जोता पुत्र गुमना घांची की खातेदारी की कृषि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 69/2023
उनवान : हंजा व अन्य बनाम अजीतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

भूमि रही है। जोता पुत्र गुमना घांची का स्वर्गवास हो चुका है जिनका वंशावली निम्नानुसार है:-

स्व. जोता पुत्र गुमना घांची
मृत्यू दिनांक 01.01.1985

स्व. पोनी बाई	अजीतराम	वगतु	पुरी	स्व. फुलाराम	हन्जा	देवी
				↓		
				मनीष कुमार		

2. जोता पुत्र गुमना घांची के निर्वसीयती देहावसान दिनांक 01.01.1985 के बाद उपरोक्त वारिसान पोनीबाई, अजीतराम, वगतु, पुरी, फुलाराम, हन्जा देवी को हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत सभी को क्रमश 1/7, 1/7 हिस्सा के सहखातेदार के हक अधिकार पैदा हुए जो सहखातेदारी के हक सम्पूर्ण थे। जिनको किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण, वसीयत इत्यादि के जरिये हस्तान्तरण करने का अधिकार था।
3. यह कि, रेस्पोडेण्ट संख्या चार मनीष कुमार को गत सप्ताह घर पर अन्य दस्तावेजों के साथ श्रीमती पोनीबाई पत्नी जोताजी द्वारा स्वयं के छोटे पुत्र एवं रेस्पोडेण्ट संख्या चार के पिता फुलाराम पुत्र जोताजी के हक मे स्वयं के जीवनकाल में किये गए वसीयतनामा निष्पादन दिनांक 13 जनवरी 2000 की मूल प्रति मिली है। इस प्रकार श्रीमती पोनीबाई पत्नी जोताजी के देहवसान दिनांक 10.07.2010 से उक्त वसीयत के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेण्ट संख्या चार मनीष कुमार के पिता फुलाराम पुत्र जोताजी को 2/7 हिस्सा के हक हकूक प्राप्त हुए।
4. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या चार मनीष कुमार के पिता फुलाराम एवं मनीष कुमार की माता श्रीमती लक्ष्मी के मध्य न्यायालय के द्वारा विवाद विच्छेद की डिक्री भी दिनांक 28.04.2008 को पारित की गई थी। इस प्रकार फुलाराम पुत्र जोताराम के निर्वसीयती देहावसान दिनांक 23.06.2018 पर उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या चार मनीष कुमार को 2/7 हिस्सा के विधिक तोर से सहखातेदारी के हक हकूक निहित हुए। प्रमाण में विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रति सलंग्न है।
5. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या चार मनीष कुमार के द्वारा उपरोक्त भूमि के भू अधिकार अभिलेखो में उल्लेखित हिस्सेनुसार जोत विभाजन का वाद उपखण्ड न्यायालय सुमेरपुर में प्रस्तुत करवाये जाने के बाद एवं उपरोक्त अनवान की अपील का नोटिस मिलने के बाद गत सप्ताह श्रीमती पोनीबाई पत्नी जोताजी द्वारा स्वयं के जीवनकाल में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 13 जनवरी 2000 की मूल प्रति प्राप्त होने के बाद स्वयं के अधिवक्ता से विधिक सलाह मशविरा करने पर जानकारी हुई है की उपरोक्त उल्लेखित विवरण की कृषि भूमि में दोनो अपीलार्थीगण, रेस्पोडेण्ट संख्या एक, दो, तीन कुल पांचो को क्रमशः 1/7, 1/7 हिस्सा के एवं रेस्पोडेण्ट संख्या चार मनीष कुमार को कुल 2/7 हिस्सा के सहखातेदारी के हक हकूक विधिक तौर पर निहित है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण की अपील को स्वीकार करते हुए श्रीमती पोनीबाई पत्नी जोताजी घांची द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या चार मनीष कुमार के पिता श्री फुलाराम जी पुत्र जोताराम के हक में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 13 जनवरी 2000 के लगातार में एवं फुलाराम एवं लक्ष्मी (रेस्पोडेण्ट संख्या 04 मनीष कुमार के पिता-माता) विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 28.01.2008 के एवं फुलाराम पुत्र जोताराम की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 69/2023
उनवान : हंजा व अन्य बनाम अजीतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्वसीयती मृत्यू दिनांक के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बाद जांच यानि सभी पक्षों को सुनवाई को अवसर देते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया एवं प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्व. जोता की निर्वसीयत मृत्यु होने पर उनकी पुश्तैनी कृषि आराजी में स्वर्गीय जोता की पुत्रियों का नाम इन्द्राज नहीं किया गया, अतः आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 13.11.1990 विधिविरुद्ध होने से खारिज फरमावें। यह भी, कि अपीलार्थी को जैर आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.10.2023 को ही होने से देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को मियादशुमार घोषित करते हुए अपील स्वीकार फरमावें।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए वक्त बहस प्रतिकार नहीं किया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या चार ने अपीलार्थीगण के इस तर्क पर सहमति व्यक्त की कि स्वर्गीय जोता की पुत्रियों का उनकी आराजी में बतौर सहखातेदार इन्द्राज होना अपेक्षित है, किन्तु साथ ही, यह भी निवेदन किया कि स्वर्गीय जोता की पत्नी श्रीमती पानीबाई ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेण्ट संख्या चार के पिता स्वर्गीय फुसाराम के पक्ष में अपने हक हकूक की आराजी की वसीयत निष्पादित की थी। पिता स्वर्गीय फुलाराम के जीवनकाल में अपनी पत्नी और रेस्पोडेण्ट संख्या चार की माता के मध्य वैधानिक रुप से विवाह विच्छेद हो गया था, अतः श्रीमती पानीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुरुप रेस्पोडेण्ट संख्या चार के पक्ष में हिस्साकशी कर अपील स्वीकार की जाए।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित मूल नामान्तरकरण परत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत अपील का गुणावगुण आधार पर निस्तारण करने से पूर्व मियाद के प्रश्न का निर्धारण करना आवश्यक है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के सहवर्ती एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 96 स्वीकृति दिनांक 13.11.1990 की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.10.2023 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर हो पाई। यह भी, कि यद्यपि ab initio void आदेश अथवा कार्यवाही पर मियाद का प्रश्न लागु नहीं होता है, फिर भी युक्तियुक्त कारण होने से देरी का उपशमन करते हुए अपील को मियादशुमार घोषित फरमावें।

रेस्पोडेण्ट्स द्वारा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के प्रतिकार में ऐसा कोई दस्तावेज अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर कोई प्रतिकूल उपधारणा की जा सके। अतः अपीलाण्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों को प्रमाणित मानने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को मियादशुमार घोषित किया जाता है।

हस्तगत अपील का मज़मून यह है कि विवादग्रस्त आराजी मौज़ा तखतगढ के खसरा संख्या 172 एवं 173 के सम्बन्ध में पूर्व खातेदार श्री जोता पुत्र गुमना की दिनांक 01.01.1985 को मृत्यू हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उनका फौतेदगी नामान्तरकरण 01.10.1990 को स्वर्गीय जोता के दो पुत्रों तथा उनकी विधवा पत्नी के पक्ष में दर्ज किया गया। इन्द्राज की दिनांक 08.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 69/2023

उनवान : हंजा व अन्य बनाम अजीतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

11.1990 को तस्दीक किए जाने के उपरान्त तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 96 को दिनांक 13.11.1990 को स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट का तर्क है कि स्वर्गीय जोता की जायन्दा पुत्रियाँ होने के उपरान्त भी अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो एवं तीन का आलोच्य नामान्तरकरण के ज़रिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज से महरूम रखा गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 से यह भी स्पष्ट होता है कि स्वर्गीय जोता की पत्नी श्रीमती पोनीदेवी की दिनांक 10.07.2010 को मृत्यु उपरान्त विवादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो एवं तीन का स्वर्गीय जोता की पुत्रियों के रुप में बतौर सहखातेदार इन्द्राज है। यह निर्विवाद सत्य है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो एवं तीन स्वर्गीय जोता पुत्र गुगना की जायन्दा पुत्रियां हैं, तथा पिता की मृत्यु उपरान्त ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 13.11.1990 राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम इन्द्राज नहीं किया गया, जबकि माता श्रीमती पोनी देवी की मृत्यु उपरान्त इसी विवादग्रस्त आराजी में उनको बतौर सहखातेदार दर्ज किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 की पूर्वापेक्षा में किसी हिन्दु की निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसकी सम्पति में पुत्रियों का प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रुप में पुत्रों के समान अधिकार निहित होता है। किन्तु आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 96 के द्वारा स्वर्गीय जोता की जायन्दा पुत्रियों के स्थान पर मात्र उनके पुत्रों तथा पत्नी के नाम रिकॉर्ड में इन्द्राज कर उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 96 में हल्का पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा स्वर्गीय जोता के उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त नामान्तरकरण दर्ज एवं तस्दीक किया गया तथा स्वर्गीय जोता के अन्य वैध वारिसों अर्थात् जायन्दा पुत्रियों के सम्बन्ध में कोई उत्तरोतर जांच सम्पादित नहीं की गई, जो कि राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 में विहित नामान्तरकरण सम्बन्धि उपबन्धों के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 96 स्वीकृति दिनांक 13.11.1990 पटवार क्षेत्र तखतगढ़ को खारिज किया जाता है। साथ ही प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का तथा उनके पक्ष में निष्पादित दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सर विधिसम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर के न्यायालय में उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)